

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	कहां से	जिला	कहां को	जिला
1	2	3	4	5	6
1	ARVIND SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TEKRA (220107)	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMARPURA, DANTARAMGARH (213311)	SIKAR
2	MAHESH CHANDRA KHANDELWAL	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DANDA (212461)KARAUJI	KARAUJI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINDOLI, DAUSA(218115)	DAUSA

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करेंगे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।

निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.08.2021के अनुसार वर्तमान प्रदेश में 06 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर एवं सिरौही) में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2021 की आचार संहिता लागू है। इस कारण आचार संहिता वाले क्षेत्र में कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही आचार संहिता समाप्ति उपरांत ही की जावे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्थानान्तरण/2021

दिनांक : 14/8/2021

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 आयुक्त समसा जयपुर।
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/डाईट।
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनितरिंग करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 9 सम्बन्धित कार्मिक।
- 10 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर